

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ९ सन् २०२२

### मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता ( संशोधन ) विधेयक, २०२२

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता ( संशोधन ) अधिनियम, २०२२ है. संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ ( क्रमांक २० सन् १९५९ ) की धारा ९ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा ९ का स्थापन. धारा ९ का स्थापन.  
धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

“९. ( १ ) समस्त मामलों की अंतिम रूप से सुनवाई तथा निराकरण मण्डल की खण्ड पीठ द्वारा किया जाएगा: एकल सदस्यीय तथा खण्ड पीठों द्वारा अधिकारिता का प्रयोग.

परंतु वे मामले, जो समावेदन की सुनवाई या किसी अंतरिम आवेदन पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं, एकल सदस्यीय पीठ द्वारा सुने जा सकेंगे.

**स्पष्टीकरण.**—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, “खण्ड पीठ (डिवीजन बैंच)” से अभिप्रेत है, अध्यक्ष द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट दो या अधिक सदस्यों से मिलकर बनने वाली पीठ.

( २ ) राज्य सरकार, एकल सदस्यीय पीठ तथा खण्ड पीठ के माध्यम से मण्डल की शक्तियों तथा कृत्यों का प्रयोग करने के लिए नियम बना सकेगी, और ऐसी पीठों द्वारा ऐसी शक्तियों या कृत्यों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए समस्त आदेश मण्डल के आदेश समझे जाएंगे.”

३. ( १ ) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता ( संशोधन ) अध्यादेश, २०२२ ( क्रमांक ४ सन् २०२२ ) एतद्द्वारा, निरसन तथा व्यावृत्ति.

( २ ) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ ( क्रमांक २० सन् १९५९ ) की धारा ३ के अधीन गठित राजस्व बोर्ड, राजस्व मामलों के न्यायनिर्णयन के लिए शीर्ष निकाय है. इसके निर्णय समस्त राजस्व न्यायालयों पर आबद्धकारी प्रकृति के हैं, अतएव यह विनिश्चित किया गया है कि संहिता की धारा ९ के संशोधन द्वारा समस्त राजस्व मामले, बोर्ड की खण्ड पीठ द्वारा सुने और विनिश्चित किए जाएंगे. बोर्ड की पद्धति और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियम बनाने हेतु उपबंध, संहिता की धारा २५८ की उपधारा ( २क ) में पहले से हैं. उक्त उपबंध के अनुसरण में, उक्त संहिता की धारा ९ के यथोचित संशोधन की आवश्यकता है.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता ( संशोधन ) अध्यादेश, २०२२ ( क्रमांक ४ सन् २०२२ ) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:

तारीख ८ अगस्त, २०२२.

गोविन्द सिंह राजपूत

भारसाधक सदस्य.

## वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तुत संशोधन विधेयक में किसी नई संरचना अथवा नये पद निर्माण का प्रस्ताव नहीं है और न ही किसी अन्य प्रकार से कोई व्यय अंतर्ग्रस्त है, इस कारण किसी भी प्रकार के नये वित्तीय भार का प्रस्ताव नहीं है.

## प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित संशोधन विधेयक के खण्ड-२ द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन राज्य सरकार को किया जा रहा है जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

खण्ड-२ द्वारा राज्य सरकार, एकल सदस्यीय पीठ तथा खण्ड पीठ के माध्यम से मण्डल की शक्तियों द्वारा कृत्यों का प्रयोग करने के लिए नियम बना सकेगी, और ऐसी पीठों द्वारा शक्तियों या कृत्यों का प्रयोग करते हुए जारी किए गये समस्त आदेश मण्डल के आदेश समझे जाएंगे.

उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का होगा.

## अध्यादेश के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता अधिनियम की धारा ३ के अधीन राजस्व मामलों के न्यायनिर्णयन के लिए राजस्व बोर्ड शीर्ष निकाय है एवं इसके निर्णय समस्त राजस्व न्यायालयों पर आबद्धकारी हैं. सभी राजस्व मामले, बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा सुने और विनिश्चित किए जाने को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम की धारा-९ में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया था. चूंकि मामला आवश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव उक्त प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, २०२२ (क्रमांक ४ सन् २०२२) प्रख्यापित किया गया था.

ए. पी. सिंह  
प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश विधान सभा.